

रिपोर्ट पटवारी नं. 10/2020/303
आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जारी की गई। जिसके अनुसार

पापडा

1825
21/11/20

सीमान की प्रार्थी द्वारा उल्लूख दस्तावेज राशनकारी
आद्या (फाई, चैक कार्ड के आधार पर प्रार्थी का नाम मोमराम पुत्र
खेता के बजाय मोमराम आदप पुत्र खेता नाम से ही जाना
जाता है।

क्रमांक राजस्व/2020/

व.म. पापडा

दिनांक 21/11/20

मूल ही उपखण्ड अधिकारी मोमराम उदयपुरवादी को ज्ञापित कर दिया है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदन
का नाम उल्लूख किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम मोमराम पुत्र खेता की अभिप्राय की जाती है /
की जाती है।

उपरोक्त किता जाना उचित है।

21/11/20

तहसीलदार, उदयपुरवादी / गुदामोडजी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन महापक कलकर उदयपुरवादी जिला बुंदुनू (राज.)
- आदेश -

दिनांक -

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" पार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (मू0अ0)
उदयपुरवादी/गुदामोडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से सुदृढ़ किया जाकर तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवादी/गुदामोडजी को राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जायेंगे।

क्र.स.	ग्राम	जमावन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	पुत्री 6	2015-18	13	मोमराम पुत्र खेता नाम आदप अदी	मोमराम आदप पुत्र खेता नाम अदी

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवादी

दिनांक - 21/11/20

क्रमांक - राजस्व/2020/ 1779-80

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार (मू0अ0) उदयपुरवादी/गुदामोडजी को वास्तु पालनाथ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवादी

